हो, कोई रिव्यू होता हो कि उनको पुनर्जीवित करने के लिए क्या उपाय लिए गए हैं और टाईम बाउंड है कि या नहीं। एक टाईम फिक्स किया जाए कि 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज कोई फैसला हो। यह पांच-पांच साल, छः-छः साल तक कई मजदूर इस उम्मीद पर लगाए बैठे हैं कि उनका यह रोगग्रस्त यूनिट कब पुनर्जीवित होगा और तब तक उन बेचारों का देहांत हो जाता है और फैसले होने के बाद जो फाइनेंसियल पैकेज आता है जिसको सरकार भी मानती है, पर बैंक मानने के लिए तैयार नहीं होता। बैंक उस फाइनेंसियल पैकेज में कंपलाइंस नहीं देता, उसके लिए कोई अंकुश है या कोई हाई पॉवर कमेटी बनाई है जो टाईम बाउंड विदिन दि फ्रेमवर्क काम करे और फैसला सुना सके कि बी.आई.एफ.आर. के फैसले के बाद तुरन्त इसको लागू किया जा सके। वैसा कुछ है और अगर हो तो इसकी कोई मीटिंग की कि कितने फैसले किए और कितने लम्बित पड़े हुए हैं आपके पास?

SHRI MURASOLI MARAN: There are about 245 public sector undertakings of which about 50-60 are before the BIFR. All these 245 public sector companies are not under my Ministry. They come under various other administrative Ministries also. They are taking care of those units which come under them.

SHRIMATI RENUKA CHOUDHURY: No, Sir. It is oversimplifying the question.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, this is a very irresponsible answer. Under whose guidance is the BIFR running? Is it run by the UNO or the Government of India? How can the Minister reply like this?

SHRI MURASOLI MARAN: The hon. Member, Shri Ahluwalia, is a senior Parliamentarian and a former Minister too. He has the experience. There are many companies which are under the control of many administrative Ministries. Anyway, a new Bill to revamp the BIFR is in the offing. A new Bill is going to come up before the Parliament.

In the menanwhile, the concerned administrative Ministries are taking effective action.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: No, no. If that is the case, then I wish to know... (*Interruptions*)

SHRI S.S. AHLUWALIA: Then what do you say about the Hindustan Fertiliser Corporation? It is still lying with the BIFR. (Interruptions) Nobody is taking any interest. (*Interruptions*) Sir, I am talking about the BIFR. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We have had enough discussion on this particular issue. Q. No. 123.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, we want a discussion on this. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Then please give notice for discussion. Q. No. 123, Shri Ram Ji Lal.

देश में खाद्य तेलों की कमी

*123. **श्री रामजीलाल:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में खाद्य तेलों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो खाद्य तेलों का आयात किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) किन-किन खाद्य तेलों का आयात किया जा रहा है, इनका किन किन देशों से किस दर पर तथा कितनी मात्रा में आयात किया जा रहा है?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) इस समय खाद्य तेलों की अनुमानित आवश्यकता तथा सभी घरेलू स्रोतों से इनकी निवल उपलभ्यता के बीच लगभग 9-10 लाख मी.टन का अन्तर है।

(ग) व (घ) 1996-97 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान राज्य व्यापार निगम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लाई करने के लिए मलेशिया/इंडोनेशिया से 295.50 करोड़ रुपए की लागत पर आर. बी. डी. पामोलीन की 1.49 लाख मी.टन मात्रा का आयात किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार निजी व्यापारियों द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के तहत खाद्य तेलों (मुख्य रूप से पामोलीन) की लगभग 9.40 लाख मी.टन मात्रा का आयात किया गया है, जिस पर लगभग 2194.46 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। एक विवरण-क दिया गया है, जिसमें खुले सामान्य लाइसेंस के तहत खाद्य तेलों के आयातों की मात्रा व

मूल्य के बारे में देशवार विवरण दिया गया है। मंत्रालय में अलग-अलग तेलों से संबंधित विवरण अलग से उपलब्ध नहीं है।

विवरण-क

विभिन्न देशों से भारत का वनस्पति तेल (खाद्य) का आयात अनन्तिम आंकड़े

देश	अप्रैल, 96 से दिसम्बर, 96 तक	
	मात्रा (मी.टन में)	मूल्य (लाख रु. में)
कुल	340346	219446.44
अर्जेन्टीना	103049	22065.11
आस्ट्रेलिया	2000	394.85
ब्राजील	7802	1937.97
कनाडा	5263	1354.93
चीन	2500	526.29
डेनमार्क	520	110.24
फ्रांस	22	9.43
जर्मनी	15	6.59
इन्डोनेशिया	167425	39309.89
जापान	16539	81.04
मलेशिया	596389	143837.01
माले	4267	376.16
म्यामार	2300	355.89
मैक्सिको	1509	454.35
नेपाल	2406	423.85
सिंगापुर	12273	2670.94
दक्षिण अफ्रीका	1500	322.65
स्वीडन	498	193.79
संयुक्त राज्य अमरीका	14069	4515.47

स्रोत: भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़े।

श्री रामजीलाल: सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी ने खाने के तेलों के बारे में एक विवरण सभापटल पर रखा है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि इस साल के दौरान 9.40 लाख मीट्रिक टन तेल बाहर से आयात किया गया है जिसकी कीमत लगभग 2194.46 करोड़ रूपए है। मैंने मंत्री जी से पूछा था कि इसकी खपत और उत्पादन में इतना अंतर क्यों है? मैंने यह भी पूछा था कि कौन-कौन सा तेल कौन-कौन से देशों से आपने कितनी मात्रा और दर में आयात किया है? मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि उनके पास अलग-अलग तेलों से संबंधित विवरण अलग से उपलब्ध नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे यहां सारी चीजों की पैदावार होती है, कॉटन की होती है, ऑयलसीड्स की होती है तो क्या जरूरत है इंपोर्ट करने की? आपने यह नहीं बताया कि इसको इंपोर्ट करने के क्या कारण हैं। इसकी पैदावार अपने देश में ही बढ़ाई जानी चाहिए ताकि हमारे देश की मुद्रा बाहर न जा सके इसको इंपोर्ट करने में।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने स्पष्ट पूछा है कि आयात करने की आवश्यकता क्या है? महोदय, आयात करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो तिलहन का उत्पादन है, उसकी मांग और आपूर्ति के बीच में 9 से 10 लाख मीट्रिक टन का अंतर पड़ जाता है और यह 9-10 लाख टन तेल हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। इसके बारे में मैंने अपने जवाब में स्पष्ट कहा है कि लगभग 9.40 लाख मीट्रिक टन तेल का आयात किया जाता है ओ.जी.एल. के जरिए निजी ट्रेडर्स के लिए और पी.डी.एस. के लिए सरकार 1.49 लाख मीट्रिक टन तेल का आयात करती है। आपका प्रश्न है कि तिलहन का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सरकार कोई पहल कर रही है या नहीं कर रही है। इसके संदर्भ में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो ऑयलसीड्स का प्रोडक्शन है, उसके कम होने का कारण यह है कि जो क्षेत्र तिलहनों की फसल के लिए निर्धारित है, उसमें 75 प्रतिशत फसल वर्षा पर निर्भर करती है। उस क्षेत्र में फसल के लिए वर्षा चाहिए। दूसरा कारण यह है कि हमारे देश में तिलहन की जो जाति है वह जल्दी मैच्योर होने वाली जाति है और वह कम फसल देती है। चूंकि वह जल्दी मैच्योर होने वाली वैरायटी है, इसलिए इसकी यील्ड कम होती है। बाहर के देशों में तिलहन का जो उत्पादन होता है, वहां फसल साल भर में होती है लेकिन उसकी यील्ड बहुत ज्यादा है। इसलिए उनका उत्पादन अधिक होता है।

महोदय, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1989 से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि इस उत्पादन में वृद्धि हुई है। महोदय, 1989-90 में 169 लाख टन का उत्पादन हुआ था और इस साल 1996-97 में 230 लाख टन का उत्पादन हुआ है अर्थात् उत्पादन में 61 लाख टन की वृद्धि हुई है। सरकार इस

दिशा में और प्रयास कर रही है। बीजों की किस्मों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल समय पर किया जा रहा है। किसानों को प्रशिक्षित करने की कोशिश की जा रही है, सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए और सिंचाई के पानी का सही मैनेजमेंट हो सके, इसके लिए स्प्रिंकर्ल्स सैट मुहैया किए जा रहे हैं और नए सीड्स के अनुसंधान व रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं। ये पांच-छः प्रयास किए गए हैं जिनके चलते अभी तक 61 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन बढ़ा है, 90 से अभी तक।

श्री रामजीलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ऑडिबल ऑयल इतना इम्पोर्ट किया गया है, इसमें सब्सिडी कितनी है और सबसिडाइज्ड ऑयल जो है, वह गरीब लोगों तक पहुंचता है या नहीं? महोदय, इस तेल का ब्लैक होता है, वह गरीब लोगों तक नहीं पहुंचता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसे रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

दूसरा, मैंने कहा कि इस देश में कॉटन की कोई कमी नहीं है, जो 2000 रूपए क्विंटल बिकती थी, वह इस साल 800 से 1000 रूपए में बिकती है। अगर इतना बिनोला इस देश में है, यदि उसका तेल निकाला जाए तो बाहर से तेल मंगाने की कोई जरूरत नहीं। तिलहन की बात नहीं, बिनोला की कॉटन इस देश में बहुत ज्यादा है। तो कॉटन का तेल निकालने के साधन किए जाएं ताकि वह गरीबों तक पहुंच सके, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, मैं पहले ही कहा था, जवाब में ही कहा था कि मलेशिया और इंडोनेशिया से लगभग 295.50 करोड़ रुपए की लागत पर जो आर.बी.डी. पामोलिन आयल विशेषकर 1.49 लाख की मात्रा में आयात किया गया पी.डी.एस. से क्योंकि आपने रकम भी पूछी थी, तो 295.50 करोड़ का हमने आयात किया और ओ.जी.एल. में रहने के कारण - ओ. जी.एल. का मतलब है ओपन जनरल लाइसेंसिंग - जो ओ.जी.एल. में होता है उसका आकलन अभी हमारे पास नहीं है। प्राइवेट ट्रेडर्स भी यह आयात कर रहे हैं, जैसे 9.40 लाख मीट्रिक टन उन्होंने आयात किया है। इसलिए अभी हम जो आयात करते हैं, उस पर लगभग 50 करोड़ की सब्सिडी हमको देनी पड़ती है।

श्री रामजी लाल: क्या आपके पास ऐसी रिपोर्ट है कि तेल ब्लैक में बेचा जा रहा है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यह तो राज्य सरकार से संबंधित मामला है और खासकर के जो गेहूं और चावल का मामला है, वह इस पर लागू नहीं होता क्योंकि पर्व और त्यौहार पर ही लोग इसकी खपत करते हैं और कुछ सरटेन सेलेक्टिड एरिया हैं और सेलेक्टिड स्टेट्स हैं, जहां तेल की जरूरत पड़ती है, सभी राज्यों में इसकी जरूरत नहीं होती है।

जहां तक ब्लैक का सवाल है, यदि कोई स्पेसिफिक जानकारी माननीय सदस्य दें तो मैं उसकी जांच करा सकता हूं, उन राज्यों से पूछ सकता हूं, उनकी जांच की रिपोर्ट को ले सकता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल: धन्यवाद, सभापति महोदय, क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि सन् 93 में पामोलिन, जो मलेशिया से मंगाया गया था, वह कंटैमिनेटिड था और हमारी गवर्नमैंट लेबोरेट्रीज़ ने उसके संबंध में गलत जांच रिपोर्ट दी थी और उसके कारण भारी नुकसान हुआ था, उसकी सी.बी.आई. इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या आपको मालूम है? अब जो दो लाख या डेढ़ लाख टन के लगभग आप मंगा रहे हैं, इस संबंध में कोई उसकी टैस्टिंग हुई है, जो पी. डी.एस. से आप गरीबों को दे रहे हैं और क्या उस सी.बी. आई. इन्वेस्टिगेशन के संबंध में आपको कोई जानकारी है? यदि नहीं है तो जो पहला प्रश्न है आज का, प्रश्न संख्या 121, इसमें एस.टी.सी. के संबंध में जो जानकारी दी गई है, कंटैमिनेशन के संबंध में, इरेगुलैरिटीज़ के संबंध में, उस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि एस.टी.सी. के द्वारा जो आप मंगा रहे हैं, वह कृपया देख लें और उस संबंध में क्या आवश्यक कार्रवाई करने का आप सदन को आश्वासन देंगे?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, चूंकि यह आयात का काम कामर्स मिनिस्ट्री से संबंधित है, कामर्स मंत्रालय के एस.टी.सी. के ज़रिए आयात के काम होते हैं, उस संदर्भ में यदि कोई इस तरह की बात, जैसे माननीय सदस्य स्पेसिफिक ईयर भी बता रहे हैं, वर्ष बता रहे हैं, उस वर्ष का पूरा रिकार्ड मिनिस्ट्री से लेकर मैं...(व्यवधान).

श्री सतीश अग्रवाल: आज ही का प्रश्न संख्या 121 है, उसका उत्तर मेरे पास है, उसी उत्तर से मैं आपसे पूछ रहा हूं। वह कंटैमिनेटिड था, गवर्नमैंट लेबोरेट्रीज़ ने झूठी रिपोर्ट दे दी, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। नवम्बर 1993 का इम्पोर्ट है। गवर्नमैंट लैबोरेटरी झूठी रिपोर्ट देती है और हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से गरीबों को कंटैमिनेटिड ऑयल खिला रहे हैं। नवम्बर, 1993 से लेकर 1997 आ गया है, तीन-चार साल होने को आ गये हैं, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं तो इस संबंध में आपसे आश्वासन मांग रहा हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, मैं उस सूचना को ग्रहण करता हूं और कामर्स मिनिस्टरी में जो रिपोर्ट आयी होगी उस रिपोर्ट की मैं पूरी जानकारी लूंगा। माननीय सदस्य अगर कोई और जानकारी इस संदर्भ में रखते हैं तो निश्चित रूप से वांछित कार्यवाही की जाएगी और कार्यवाही में कोई समझौता, करप्शन के संबंध में सरकार कोई समझौता नहीं कर सकती है। जो भी तथ्य आए होंगे, उस संबंध में संबंधित मिनिस्टरी से भी मैं जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। यह आयात या निर्यात का काम मुख्यत: कॉमर्स मिनिस्टरी से जुड़ा हुआ है।

श्री सतीश अग्रवाल: प्रश्न के दूसरे भाग में मैंने पूछा था कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आप इसकी टैस्टिंग कराएंगे?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: बिल्कुल। हम स्पैसिफिक जांच कराएंगे।

श्री एस.एस. सुरजेवाला: महोदय, जो ऐडीबल ऑयल हैं, इस देश के गरीब आदमी के लिए इसका बहुत महत्व है, यह उनकी जरूरी खुराक है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो ऐडीबल ऑयल की शार्टेज के और कम प्रोडक्शन के जो कारण दिये हैं, उसमें इन्होंने पूरी जानकारी शायद नहीं ली है। इन्होंने एक ही बात कही कि चूंकि ऐडीबल ऑयल की प्रोडक्शन का एरिया बरसात से जहां सिंचाई हो सकती है या जहां दूसरी सिंचाई के साधन नहीं हैं, वह एरिया है। मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा और मैं आपको यह बात बताना भी चाहूंगा कि ऐडीबिल ऑयल इरीगेटिड लैंड में नहीं हो सकता है। ऐडीबल ऑयल, विंटर रेन जो है जो झांसी से शुरू होकर फाज़िल्का तक का सारा बॉर्डर है, राजस्थान-हरियाणा का जो इलाका है, यह सरसों, तोरियां और दूसरे ऑयल सीड्स के लिए सबसे बड़ी बैल्ट है। इसके अंदर जो कमी है, उसके तीन कारण हैं। प्रमुख तौर पर एक कारण तो यह है कि वैदर कंडीशंस बहुत वैरी करती हैं। अगर लो टैम्प्रेचर है तो कीड़ा लगता है और पाला यानी सर्दी पड़ती है तो पाला उसको खत्म कर देता है। दूसरा कारण यह है कि आपके जो प्राइसिस हैं, वह इतने फ्लक्चुएट करते हैं कि जब कीमत गिर जाती है तो अगले साल पूरे किसान कॉस्ट नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त टैक्स स्ट्रक्चर जो है उसमें टैक्सेशन की पॉलिसी राजस्थान में कुछ है, हरियाणा में कुछ है और दिल्ली में कुछ है। नतीजा यह होता है कि दिल्ली के बड़े व्यापारी इसका लाभ उठाते हैं क्योंकि अगर व्यापारी उसे नहीं खरीदेगा तो किसान पैदा नहीं करता है, बीना बंद कर देता अतिरिक्त पहले एरियल के द्वारा कीड़े मार दवाइयां पूरे एरिया में हजारों किलोमीटर में होती थीं, वह आपने बंद कर दिया है तो क्या आप सारे उपाय करेंगे और सरकार कोई आश्वासन देगी कि टैक्सेशन के संबंध में, किसानों को स्प्रे के संबंध में, कीमत के संबंध में पूरी तरह से आप रिव्यू करेंगे?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: माननीय सदस्य ने मूल्यों के संबंध में चर्चा की है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं की कीटनाशक दवाएं जो हैं, उनको नियमित रूप से जो इलाका तिलहन का है, उसमें कीटनाशक दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में और उनका छिड़काव कराने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। यह सब मैं पूर्व के जवाब में बता चुका हूं। जहां तक मस्टर्ड ऑयल के संबंध में आपकी जानकारी है, 75 प्रतिशत दूसरे तिलहनों के लिए मैंने कहा था और मस्टर्ड ऑयल के दाम के संबंध में मेरे पास अभी रिपोर्ट है। जो मस्टर्ड ऑयल है वह 21.2.96 को 3800 रूपये पर-क्विंटल मिलता था और अभी भी 3800 रूपये पर-क्विंटल ही मिल रहा है तो 1996 और 1997 में दामों में कोई अंतर नहीं आया है।

श्री एस.एस. सुरजेवाला: मैंने फसल की बात की है, ऑयल की बात नहीं की है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: दामों में कोई फ्लेक्चुएशन नहीं आया है। आपने जो सप्लीमैंटरी पूछा था उसमें दामों की भी चर्चा आपने की थी। दामों में कोई अन्तर नहीं है बल्कि घटने का क्रम है, ट्रेंड है, बढ़ने का नहीं है। हमारे पास सभी शहरों का डिटेल है इसलिए मैं सदन का समय जाया नहीं करना चाहता हूं। मुम्बई का है, कलकत्ता का, मद्रास का सभी जगह का है। मस्टर्ड ऑयल के सन्दर्भ में दिल्ली का है। इस सन्दर्भ में आपने पूछा है, फिर आपने कीटनाशक दवाइयों के विषय में पूछा है।

श्री एस.एस. सुरजेवाला: सर, मैंने किसानों की पैदावार के दाम की बात कही थी और मंत्री जी एंड प्रोडेक्ट की बात कर रहे हैं, वे टोटली डिफरैंट बात कर रहे हैं। यह जो एंड प्रोडेक्ट है इससे तो व्यापारी फायदा उठाते हैं। सवाल यह है कि जो तिलहन है उसकी कीमतों में इतना ज्यादा फ्लेक्चुएशन है कि किसान काश्त नहीं करता है अगले साल। तो उसकी कीमत आपके पास नहीं है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति जी, जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं उसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं है। माननीय सदस्य इसके लिए अलग से लिखकर डिटेल में दे दें तो मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य तक इसकी जानकारी पहुंचा दूंगा।

श्री एस.एस. सुरजेवाला: आप आश्वासन तो दे दें। मंत्री जी कि.....

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तय करती है।

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल: सर, एडीबल ऑयल का जो सवाल है इसमें एडीबल ऑयल मिलर्स लॉबी और उसमें बिजनिस करने वाले लोगों का बहुत वेस्टेड इन्टरेस्ट होता है। वह माल का स्टाक करके आर्टीफिशियल शार्टेज भी करते हैं। कभी-कभी प्रोडेक्शन कम होने से भी शार्टेज होती है लेकिन ज्यादातर सिचुएशन का फायदा उठाने का इस लॉबी का हमेशा प्रयत्न होता है। क्या उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कोई स्टेप्स लिए हैं, अगर लिए हैं तो क्या स्टेप्स लिए हैं?

सर, दूसरी बात है कि हम बाहर से इम्पोर्ट करके प्राइसेस को कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन मंत्री जी जानते होंगे कि हमारा जो पीडीएस सिस्टम है इसमें भी कई लूपहोल्स हैं और फेयर प्राइसेज शाप पर जो माल आता है उसमें से थोड़े का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और बाकी माल बैक डोर से ओपन मार्केट में चला जाता है। क्या हम पीडीएस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए या उसकी एफिशियंसी बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं? आपने अभी तक क्या स्टेप्स लिए हैं और क्या लेना चाहते हैं?

सर, मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब हम प्रेक्टीकली हर वर्ष यह मुश्किल फेस करते हैं कि एडीबल ऑयल की देश में कमी है और हमारे देश में फूड हेबिट्स ऐसी हैं कि हम एडीबल ऑयल के बिना काम नहीं चला सकते हैं, तो इस स्थिति में हम एडीबल ऑयल सीड्स को बढ़ाने के लिए क्या कोई निश्चित प्लान बना रहे हैं? क्या कोई स्पेशल एनकारेजमेंट सरकार ने दिया है या देना चाहती है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: निश्चित रूप से मैंने पूर्व में भी कहा था कि स्पेशल इंसेंटिव देने के बारे में है, चूंकि यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित है जो माननीय सदस्या की भावना है उस भावना को मैं कृषि मंत्रालय को प्राथमिकता के आधार पर पहुंचा दूंगा। जो प्रायोरिटी सरकार की है उसके सन्दर्भ में तो मैंने अभी आपको बताया ही था, जैसे अभी स्टोरेज कंट्रोल आर्डर, स्टाक की सीमा निर्धारित करने के बारे में, पीडीएस को स्ट्रीम लाइन करने के बारे में, इसको चुस्त-दूरूस्त करने के बारे में। चूंकि माननीय सदस्या ने पूछा है कि क्या कार्रवाई की जा रही है तो इस सन्दर्भ में मेरा कहना है कि जो ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है या इस तरह की हेराफेरी का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है यह सम्पूर्ण रूप से राज्य सरकारों के अन्तर्गत आता है। इसलिए यदि माननीय सदस्या किसी खास जगह का कोई स्पेसिफिक मामला बताये, यदि इन आठ राज्यों से संबंधित हो तो हम उसे देखेंगे।.

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल: गाइड लाइन्स तो आप दे सकते हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: निश्चित रूप से मैं इसकी जांच करवाऊंगा।.

*124. [***The Questioner (Shri Gyan Ranjan) was absent. For answer vide Col. 31 infra.***]

NHRC's concern about Eradication of Manual Scavenging

*125. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether the National Human Rights Commission has sought eradication of manual scavenging;

(b) details of the States practising scavenging; and

(c) the steps being taken in such States and assistance being given by the Ministry to them for its eradication?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) Yes, Sir.

(b) Only Kerala and Pondicherry have been declared completely Scavenging free. In all other States problem of scavenging persists in some form.

(c) "The National scheme of Liberation and Rehabilitation of Scavengers and their Dependents" was launched by the Government of India on 22nd March, 1992 with the objective of eliminating the inhuman practice of manual handling of night soil and filth. The main components of the scheme are :-

1. A rapid survey to identify scavengers and their dependents and their aptitute for alternative trades.
2. Training of Scavengers and their Dependents.
3. Rehabilitation through implemenation of projects with a prescribed funding pattern.